DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(3410)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00217/2018 जयपुर, दिनांक : 01-05-2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री मोहित कुमार वर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग पंचायत समिति– श्रीनगर जिला–अजमेर को M.A. Previous (Economics), VMOU, KOTA से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री मोहित कुमार वर्मा, सूचना सहायक, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(आशुतोष. एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, अजमेर।
2. श्री मोहित कुमार वर्मा, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग पंचायत समिति–श्रीनगर जिला–अजमेर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–फ.2(6537)डीओआईटी / संस्था / 14 / 00118/2018 जयपुर, दिनांक 26/04/18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री नीतू बसवाल, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से पत्राचार के माध्यम से एम.बी.ए. पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री नीतू बसवाल, प्रोग्रामर, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(आशुतोष. एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, भरतपुर।
2. सुश्री नीतू बसवाल, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर ।
3. संबंधित निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः—फ.2(6551)डीओआईटी / संस्था / 14 / ML-3957 जयपुर, दिनांक 19/04/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री तरूण कुमार मीणा, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाडा को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से पत्राचार के माध्यम से व्यवसाय प्रबन्ध में स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री श्री तरूण कुमार मीणा, प्रोग्रामर, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(आशुतोष. एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाडा।
2. श्री तरूण कुमार मीणा, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाडा ।
3. संबंधित निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन